

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक: प.13(30) वित्त/राजस्व/76 लूज

जयपुर, दिनांक: 2/5/25

आदेश

राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार राज्य बीमा विभाग की 31 मार्च 2023 को बीमा निधि की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित बोनस घोषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं—

1. 31.03.2023 को प्रवृत्त उन समस्त सावधि समाश्वासन संविदाओं पर, जो 01.04.2022 को या उसके पश्चात् अथवा प्रारंभ की तारीख को, जो भी बाद में हो और 31.03.2023 के पूर्व स्वीकृत हुई हो, प्रत्येक समाश्वासन वर्ष की बाबत पूरी बीमाकृत राशि के लिये, बीमाकृत राशि, जिसमें अतिरिक्त बीमाकृत राशि या विशेष वृद्धि सम्मिलित है, के प्रत्येक हजार पर 85/— रुपये प्रतिवर्ष का साधारण प्रतिवर्ती (रिवर्सनरी) बोनस।
2. 31.03.2023 को प्रवृत्त उन समस्त आजीवन समाश्वासन संविदाओं पर, जो 01.04.2022 को या उसके पश्चात् अथवा प्रारंभ की तारीख को, जो भी बाद में हो और 31.03.2023 के पूर्व स्वीकृत हुई हो, प्रत्येक समाश्वासन वर्ष की बाबत पूरी बीमाकृत राशि के लिये, बीमाकृत राशि, जिसमें अतिरिक्त बीमाकृत राशि या विशेष वृद्धि सम्मिलित है, के प्रत्येक हजार पर 112.5/— रुपये प्रतिवर्ष का साधारण प्रतिवर्ती बोनस।
3. 31.03.2023 के पश्चात् और अगला मूल्यांकन परिणाम घोषित होने तक परिपक्वता एवं मृत्यु दावों में परिणित होने वाली उन समाश्वासन संविदाओं पर जो 31.03.2023 को या उसके पश्चात् स्वीकृत हुई हो, प्रत्येक समाश्वासन के लिए निम्न प्रकार से अंतरिम बोनस—
 1. सावधि समाश्वासन की बीमाकृत राशि, जिसमें अतिरिक्त बीमाकृत राशि या विशेष वृद्धि सम्मिलित है, पर 85/— रुपये प्रति हजार प्रतिवर्ष।
 2. आजीवन समाश्वासन की बीमाकृत राशि, जिसमें अतिरिक्त बीमाकृत राशि या विशेष वृद्धि सम्मिलित है, पर 112.5/— रुपये प्रति हजार प्रतिवर्ष।
4. अगला मूल्यांकन परिणाम घोषित होने तक परिपक्वता दावों में परिणित होने वाली पॉलिसियों की बाबत समाश्वासन के प्रारंभ होने से लेकर परिपक्वता की तारीख तक प्रत्येक समाश्वासन वर्ष के लिए बीमाकृत राशि जिसमें अतिरिक्त बीमाकृत राशि या विशेष वृद्धि सम्मिलित है, पर प्रति हजार 4/— रुपये की दर से टर्मीनल बोनस (अंतरिम बोनस के अतिरिक्त)।
5. बोनस की उपरोक्त दरें उन समाश्वासन संविदाओं पर लागू नहीं होगी जो इस आदेश के जारी होने के पूर्व परिपक्वता एवं मृत्यु दावों में परिणित हो गये हैं और ऐसी समाश्वासन संविदाएं आदेश संख्या एफ.13(30)वित्त/राजस्व/76 लूज दिनांक 01.10.2024 द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार निपटायी जायेगी।

आज्ञा से,

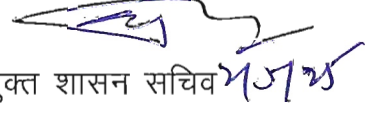


(धनलाल शेरवत)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
4. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. समस्त जिला कलेक्टर।
7. संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव